

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर।

क्रमांक :- २१५/२०२६/१६

दिनांक :- १९-३-२०२६

--: आदेश :--

दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १४(१) एवं १५(२) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा १२ व १३ के प्रावधानों एवं सामान्य नियम (सिविल एवं दाण्डिक, २०१८ के आदेश ३५(२) तथा ०५/पीआई/२०१७) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर द्वारा बाद अनुमोदन में ज्योति सिंह मीना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर, आदेश पारित करती हूँ कि थाना आंगई के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित प्रकरणों के प्रस्तुतिकरण एवं सुनवाई सम्बन्धी पूर्ववर्ती आदेशों को निरस्त करते हुये आज दिनांक १९.०३.२०२६ से थाना आंगई के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले नये प्रकरणों की संस्थिति एवं विधिवत् सुनवाई तथा प्रकरणों के प्रस्तुतिकरण एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाडी द्वारा की जावेगी।

यह आदेश इस न्यायालय से जारी होने की दिनांक से प्रभावी रहेगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि आदेश की तिथि से पूर्व दर्ज प्रकरणों का क्षेत्राधिकार माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के आदेशों के अधीन रहेगा तथा आदेश की तिथि से दर्ज नवीन प्रकरणों की संस्थिति और सुनवाई नवीन क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बाडी द्वारा की जावेगी।

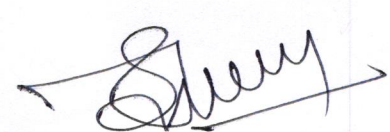

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर।

क्रमांक :- २१५/२०२६/२५५

दिनांक :- १९-०३-२०२६

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

१. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (उचित माध्यम)
२. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर।
३. श्रीमान् जिला कलक्टर, धौलपुर।
४. श्रीमान् समस्त पीठासीन अधिकारीगण, न्यायक्षेत्र धौलपुर।
५. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर।
६. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, धौलपुर।
७. अध्यक्ष बार संघ, धौलपुर/बाडी/राजाखेडा/बसेडी।
८. जनसंपर्क अधिकारी, धौलपुर को समाचार प्रकाशन हेतु।
९. नोटिस बोर्ड अदालत हाजा।
१०. सिस्टम असिस्टेंट को न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
११. आदेश पत्रावली।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर।